न्यायालय जिला कलक्टर (आरबीट्रेटर), सिरोही

बईजलास डॉ. भँवर लाल, आई.ए.एस.

प्रार्थना–पत्र संख्या 07 / 2014

प्रार्थी

श्रीमती गुलाबी पत्नि श्री बाबूलाल जाति कुम्हार निवासी वीरवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

बनाम

विपक्षीगण

1. **सक्षम प्राधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), पिण्डवाडा जिला सिरोही।**
2. **नेशनल हाईवे ऑथोरिटी जरिये प्रोजेक्ट डायरेक्टर नेशनल हाईवे ऑथोरिटी ऑफ इन्डिया पाली जिला पाली।**

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी)(5) नेशनल हाईवे एक्ट 1956 सपठित आरबीट्रेशन एण्ड कन्सीलेशनरल एक्ट, 1996

उपस्थिति :–

1. श्री नगेन्द्र कुमार मेडतिया, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री अर्जुनसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या दो की ओर से।

:: निर्णय ::

दिनांक : **30.12.2022**

प्रार्थी ने यह प्रार्थना–पत्र धारा 3(जी) (5) नेशनल हाईवे एक्ट के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा द्वारा मौजा वीरवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही के खसरा संख्या 863 पर बनी बाउन्ड्री वॉल को नेशनल हाईवे हेतु अवाप्त किया गया, जिसके लिए प्रार्थी को दिए गए मुआवजे से असहमत होकर यह प्रार्थना पत्र आरबीट्रेशन एण्ड कन्सीलेशनरल एक्ट 1996 के तहत् आरबीट्रेशन की कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किए गए, जिस पर अप्रार्थी संख्या दो की ओर से अधिवक्ता श्री अर्जुनसिंह राजपुरोहित ने जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी एवं जवाब प्रस्तुत किया, जो शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में दोनों पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई । प्रार्थी के लायक अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेडतिया की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि मौजा वीरवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही में प्रार्थी के कब्जे काश्त की आबादी भूमि खसरा संख्या 863 में स्थित बाउन्ड्री वॉल का सक्षम प्राधिकारी (उपखण्ड अधिकारी [illegible] किया है, वह गलत है। यह है कि प्रार्थिया की भूमि के सम्बन्ध में कोई [illegible] रित नहीं किया गया है, केवल प्रार्थी के पति श्री बाबूलाल [illegible] गया है। प्रार्थीगण के अवाप्तशुदा भूखण्ड की मार्के [illegible] गांव की धनी आबादी [illegible] से तथा वाणिज्यिक उपयोग होने को ध्यान में रख[illegible] हुए एवार्ड जारी नहीं क[illegible] की है। यह है कि प्रार्थीगण की अवाप्तशुदा भूमि मय बाउन्ड्री वॉल नेशनल हाईवे नम्बर 14 के मुख्य सडक से लगती है तथा मौके पर स्थित होने से विकसित तथा घनी आबादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2024.01.06 15:05:38 IST
Reason: SelfAttested

3/1/00
आरबी ट्रेटर
कलेक्टर सिरोही

Scanned with CamScanner

क्षेत्र में स्थित है, जो आवासीय प्रयोजनार्थ थी, जिस पर प्रार्थी का पक्का मकान, होद, टीनशेड आदि बने हुए है, जिसका मुआवजा तय करते समय इस तथ्य पर ध्यान दिया जाना चाहिए था। यह है कि प्रार्थी के भूखण्ड का मुआवजा अदा करते समय वर्तमान डी.एल.सी. रेट के चार गुना के अनुसार मुआवजा अदा करने के तथ्य को गंभीरता से नहीं लेते हुए वर्तमान नए भूमि अवाप्ति अधिनियम के लागू प्रावधानों के अनुसार मुआवजा अदा करना चाहिए था, जो नहीं किया गया है। यह है कि भूमि का बाजार मूल्य को ध्यान में नहीं रखा गया है, वर्तमान में निर्माण की जो बाजार दर है उसी अनुसार निर्माण का मुआवजा भी अदा करना था परन्तु सक्षम प्राधिकारी द्वारा मुआवजा अदा नहीं किया है। यह है कि प्रार्थी उक्त स्थान पर पिछले कई वर्षों से निवास कर रहे थे, जो उसकी आवासीय सम्पत्ति है, परन्तु इसे अवाप्त होने से प्रार्थी को हुई मानसिक वेदना व अन्य देय लाभ भी प्रदान किए जाने चाहिए थे, जो नहीं किए गए है। यह है कि प्रार्थी ने उक्त गलत व विधि विरूद्ध एवार्ड पारित करने से पूर्व प्रार्थी की सम्पत्ति की स्थिति को देखते हुए मुआवजा दिलाए जाने की मांग की थी, लेकिन उक्त सम्पत्ति हाईवे पर स्थित होने व कीमती होने बाबत् किसी स्थिति को ध्यान में नहीं रखते हुए एवार्ड पारित किया है, जिसमें बढोतरी किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया फरमाया जाकर सक्षम प्राधिकारी को प्रार्थी के स्वामित्व की अवाप्त भूमि के सम्बन्ध में एवार्ड पारित किए जाने के आदेश प्रदान करावें तथा समुचित मुआवजा दिलाए जाने के आदेश प्रदान करावें।

अप्रार्थी संख्या एक की ओर से प्रस्तुत जवाब में यह अंकित किया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए में उद्घोषणा जारी कर अवाप्त होने वाली भूमि का पूर्ण विवरण दर्ज रहा है एवं उक्त अधिनियम की धारा 3 सी के तहत आपत्तियों आमंत्रित की गई थी और समस्त आपत्तियों का निस्तारण करते हुए पूर्ण अवसर प्रदान कर उक्त अधिनियम की धारा 3 डी के तहत अवाप्त अधिसूचना जारी की गई। उक्त समस्त कार्यवाहियों के अनुक्रम में प्रार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत किए जाने का पूर्ण समुचित विधिक अवसर प्रदान किया गया। ऐसी दशा में समुचित अवसर देकर पारित आदेश पूर्णतया विधि संगत है। यह है कि अवाप्तशुदा भूमि पर प्रार्थी का तत्समय स्वत्व स्वामित्व निहित नहीं रहा है, स्वामित्व सम्बन्धी वैध प्रलेखों के अभाव में तथा अभिलेख अस्तित्व में नहीं होने के कारण अवाप्तशुदा भूमि का प्रार्थी मुआवजा प्राप्त करने का विधिक अधिकारी नहीं रहा है। यह है कि मौके पर बनी वास्तविक संरचनाओं की क्षति का पूर्ण मूल्यांकन अधिकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा नियुक्त योग्यताधारी से कराया गया एवं मूल्यांकन प्रतिवेदन में सभी तथ्यों का पूर्ण समावेश किया गया एवं बनने वाली सम्पूर्ण राशि का भुगतान किया गया, जिसे प्रार्थी के पति द्वारा प्राप्त भी कर लिया गया, परन्तु प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना [illegible] समाफित क्षति का आंकलन अंकित किया गया है, जो गलत है। यह है कि [illegible] की अवाप्ति की कार्यवाही के अन्तर्गत अधिसूचना धारा 3ए [illegible] प्रार्थी को शुरूआत से थी एवं इस बाबत् उसको सूचित भी कर दिया था एवं मुआवजा निर्धारण के समय प्रार्थी के दस्तावेजों का पूर्ण अवलोकन किया गया एवं उक्त अवाप्तशुदा भूमि बाबत् स्वत्व स्वामित्व के दस्तावेज रेकर्ड पर होने पर ही भूमि का मुआवजा निर्धारण किया जाता है,

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2024.01.06 15:05:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

साथ ही धारा 3ए की अधिसूचना की दिनांक के बाद यदि किसी भी प्रकार का कोई स्वत्व, स्वामित्व में परिवर्तन होता है तो उस बाबत् अतिरिक्त मुआवजा प्राप्त करने का प्रार्थी अधिकारी नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाना फरमावें।

अप्रार्थी संख्या दो के लायक अधिवक्ता श्री अर्जुनसिंह राजपुरोहित द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि मौजा वीरवाडा के खसरा संख्या 863 में स्थित बाउन्ड्री वॉल का सक्षम प्राधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), पिण्डवाडा द्वारा मुआवजा राशि का अवार्ड जारी करने में किसी तरह की कोई त्रुटि नही की गई है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को हैरान परेशान करने की नियत से यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है। यह है कि खसरा संख्या 863 पर बनी संरचना का मुआवजा प्रार्थिया के पति श्री बाबूलाल को दे दिया गया है, इसके पश्चात भी प्रार्थिया यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दोहरे लाभ की इच्छा जाहिर की है। प्रार्थिया द्वारा जिस भूमि बाबत् अतिरिक्त क्लेम याचिका प्रस्तुत की है, वह कब्जे के आधार पर है एवं प्रार्थिया का खसरा संख्या 863 पर किसी भी प्रकार का कोई स्वत्व, स्वामित्व निहित नहीं है, मात्र अधिपत्य के आधार पर भूमि का मुआवजा देय नहीं है। प्रार्थी द्वारा वर्णित बाउन्ड्री वॉल बाबत् स्ट्रेक्चर का भुगतान पूर्णतया चैक द्वारा दिनांक 21.12.2012 को प्रार्थी के पति श्री बाबूलाल कर दिया गया है, जो प्रार्थी के पति द्वारा स्वीकार भी किया गया है। यह है कि प्रार्थी का उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई स्वत्व, स्वामित्व निहित नहीं होने से उपरोक्त क्लेम राशि प्राप्त करने का प्रार्थी अधिकारी नहीं है। यह है कि प्रार्थी को पॉलिसी परिपत्र के अनुसार स्वामित्व अभिलेख के अभाव में उक्त भूमि पर निर्माण का नितिगत पॉलिसी के अन्तर्गत मुआवजा का भुगतान कर दिया गया है एवं नए भूमि अवाप्ति अधिनियम 2013 के प्रावधान प्रार्थी पर लागू नहीं होते है। यह है कि प्रार्थी की जमीन बाबत् जो अधिसूचना धारा 3ए के तहत जिस दिनांक को जारी की गई, उस दिनांक को प्रार्थी के उक्त भूमि पर स्वत्व, स्वामित्व बाबत् दस्तावेज का पूर्ण रूप से अवलोकन कर एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों का निस्तारण कर एवं उसको पूर्ण सुनवाई का मौका देकर मुआवजा निर्धारण किया गया है। यह है कि धारा 3ए के तहत जारी अधिसूचना की दिनांक के बाद यदि किसी प्रकार का कोई स्वत्व, स्वामित्व में परिवर्तन होता है तो उस बाबत् प्रार्थी अतिरिक्त मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। यह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए में उद्घोषणा जारी कर अवाप्त होने वाली भूमि का पूर्ण विवरण दर्ज रहा है एवं उक्त अधिनियम की धारा 3 सी के तहत आपत्तियों आमंत्रित की गई थी और समस्त आपत्तियों का निस्तारण करते हुए पूर्ण अवसर प्रदान कर उक्त अधिनियम की धारा 3 डी के तहत अवाप्त अधिसूचना जारी की गई। उक्त समस्त कार्यवाहियों के अनुक्रम में प्रार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत किए जाने का पूर्ण समुचित विधिक अवसर प्रदान किया गया। ऐसी दशा में समुचित अवसर देकर पारित आदेश पूर्णतया [illegible] है कि अवाप्तशुदा भूमि पर प्रार्थी का तत्समय स्वत्व स्वामित्व निहित नहीं रहा है, स्वामित्व सम्बन्धी वैध प्रलेखों के अभाव में तथा अभिलेख अस्तित्व में नहीं होने के कारण अवाप्तशुदा भूमि का प्रार्थी मुआवजा प्राप्त करने का विधिक अधिकारी नहीं है। यह है कि मौके पर बनी वास्तविक संरचनाओं की क्षति का पूर्ण मूल्यांकन अधिकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा नियुक्त योग्यताधारी से कराया गया एवं मूल्यांकन प्रतिवेदन में सभी तथ्यों का पूर्ण समावेश किया गया एवं बनने वाली सम्पूर्ण राशि का भुगतान किया गया, जिसे प्रार्थीगण द्वारा प्राप्त भी कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2024.01.06 15:05:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

लिया गया, परन्तु प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में मनमाफित क्षति का आंकलन अंकित किया गया है, जो गलत है। यह है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय) नई दिल्ली के पॉलिसी परिपत्र संख्या 7.1.53 पत्र संख्या 543 दिनांक 10.04.2017 से स्पष्ट निर्देश दिए गए है कि ऐसी भूमि जो स्थानीय निकायों जैसे नगर निगम/नगर पालिका एवं ग्राम पंचायत बिलानाम सरकार आदि के नाम दर्ज है, उसका मुआवजा देय नहीं है, जिसके आधार पर प्रार्थी अवाप्तशुदा भूमि का मूल्यांकन प्राप्त करने की अधिकारिता नहीं रखता है, केवल संरचनाओं का ही मूल्यांकन के अनुरूप भुगतान प्राप्त करने की अधिकारिता रखता है, जिसका भुगतान प्रार्थी के पति द्वारा बिना किसी आपत्ति के प्राप्त कर लिया गया है। यह है कि उक्त भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही के अन्तर्गत अधिसूचना धारा 3ए, 3बी एवं 3सी की जानकारी प्रार्थी को शुरूआत से थी एवं इस बाबत् उसको सूचित भी कर दिया था एवं मुआवजा निर्धारण के समय प्रार्थी के दस्तावेजों का पूर्ण अवलोकन किया गया एवं उक्त अवाप्तशुदा भूमि बाबत् स्वत्व स्वामित्व के दस्तावेज रेकर्ड पर होने पर ही भूमि का मुआवजा निर्धारण किया जाता है, साथ ही धारा 3ए की अधिसूचना की दिनांक के बाद यदि किसी भी प्रकार का कोई स्वत्व, स्वामित्व में परिवर्तन होता है तो उस बाबत् अतिरिक्त मुआवजा प्राप्त करने का प्रार्थी अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना फरमावें ।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा की पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया एवं पत्रावली के अवलोकन के उपरान्त न्यायालय का मत है कि मौजा वीरवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही के खसरा संख्या 863 की भूमि एवं उस पर बनी बाउन्ड्री वॉल को सक्षम प्राधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) पिण्डवाडा द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु अवाप्त किया गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3ए के तहत अधिसूचना प्रकाशन की तिथि को उक्त भूमि का स्वामित्व ग्राम पंचायत वीरवाडा का था एवं मौजा वीरवाडा के खसरा संख्या 863 पर बने निर्माण बाउन्ड्री वॉल का मुआवजा प्रार्थिया के पति श्री बाबूलाल को अदा किया जा चुका है, जिसे प्रार्थिया के पति द्वारा स्वीकार भी कर लिया गया है एवं प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों में भी यह स्पष्ट किया है कि प्रार्थिया के पति श्री बाबूलाल को उक्त संरचना का मुआवजा अदा किया गया है। अतः इससे यह प्रतीत होता है कि प्रार्थिया के पति श्री बाबूलाल द्वारा उक्त संरचना का मुआवजा प्राप्त करने के उपरान्त प्रार्थिया द्वारा यह प्रार्थना पत्र दोहरा लाभ प्राप्त करने के आशय से लगाया गया है, जो उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थिया के पास मौजा वीरवाडा के खसरा संख्या 863 से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का कोई स्वत्व अथवा स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज यथा पट्टा हो, ऐसा किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है एवं न ही इस सम्बन्ध में प्रार्थिया के अधिवक्ता द्वारा किसी प्रकार का कोई कथन किया है। अतः इससे यह प्रतीत होता है कि प्रार्थिया के पति [illegible] उक्त अवाप्तशुदा भूमि पर केवल कब्जा है। प्रार्थिया द्वारा उपलब्ध करवाए गए [illegible] प्रति से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त पट्टा अवाप्तशुदा भूमि का ही है एवं न ही इसे सक्षम अधिकारी से प्रमाणित करवाया गया है। अतः उक्त पट्टा [illegible]प्तशुदा भूमि का है, ऐसा प्रतीत नहीं होता है। अतः राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के अनुसार बिना पट्टे/बिना वैध दस्तावेज के निवास करने पर उस पर बनी संरचनाओं का ही मूल्यांकन के अनुरूप भुगतान किए

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2024.01.06 15:05:38 IST
Reason: SelfAttested

आरती दूटर
सिस्टम कलेक्टर सिरोही

Scanned with CamScanner

जाने का प्रावधान है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3ए के तहत अधिसूचना प्रकाशन की तिथि को रही भूमि की किस्म एवं स्वामित्वधारक को ही अधिकारिता विधिक प्रावधान अनुसार रहती है, केवल मात्र ग्राम पंचायत द्वारा आधिपत्य की पुष्टि कर देने मात्र से अवाप्त भूमि का स्वत्व, स्वामित्व प्रार्थी में निहित नहीं हो जाता है। अतः प्रार्थी द्वारा कब्जे के आधार पर बनाए गए संरचनाओं की क्षति की राशि प्रार्थिया के पति को अदा कर दी गई है। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3ए की अधिसूचना जारी होने की दिनांक के बाद ग्राम पंचायत या अन्य किसी भी स्थानीय निकाय निगम को उक्त भूमि प्रलेख जारी करने, पट्टा जारी करने, स्वामित्व हस्तान्तरण करने के अधिकार प्राप्त नहीं है, यदि किसी भी प्रकार का कोई स्वत्व, स्वामित्व में परिवर्तन होता है तो उस बाबत् अतिरिक्त मुआवजा प्राप्त करने का प्रार्थिया एवं उसका पति श्री बाबूलाल अधिकारी नहीं है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा उक्त अवाप्तशुदा भूमि का बाजार मूल्य एवं हाईवे पर आबादी में स्थित होने एव वाणिज्यिक उपयोग में होने के कारण अतिरिक्त मुआवजा प्राप्त करने का कथन किया है, परन्तु उक्त अवाप्तशुदा भूमि पर प्रार्थी का किसी भी प्रकार का कोई स्वत्व, स्वामित्व निहित नहीं होने से प्रार्थिया एवं उसका पति श्री बाबूलाल अतिरिक्त मुआवजा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थी को पॉलिसी परिपत्र के अनुसार स्वामित्व अभिलेख के अभाव में उक्त अवाप्तशुदा भूमि पर निर्माण का नियमानुसार मुआवजा दिया जा चुका है। नए अवाप्ति अधिनियम 2013 के प्रावधान प्रार्थी की उक्त अवाप्तशुदा भूमि पर लागू नहीं होते है, क्योंकि प्रार्थिया के पति श्री बाबूलाल को उक्त मुआवजा राशि दिनांक 13.12.2014 से पूर्व ही अदा कर दी गई थी। हम अप्रार्थी संख्या दो के अधिवक्ता के इस कथन से भी सहमत है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय) नई दिल्ली के पॉलिसी परिपत्र संख्या 7.1.53 पत्र संख्या 543 दिनांक 10.04.2017 से स्पष्ट निर्देश दिए गए है कि ऐसी भूमि जो स्थानीय निकायों जैसे नगर निगम/नगर पालिका एवं ग्राम पंचायत बिलानाम सरकार आदि के नाम दर्ज है, उसका मुआवजा देय नहीं है, जिसके आधार पर प्रार्थी अवाप्तशुदा भूमि का मूल्यांकन प्राप्त करने की अधिकारिता नहीं रखता है, केवल संरचनाओं का ही मूल्यांकन के अनुरूप भुगतान प्राप्त करने की अधिकारिता रखता है, जिसका भुगतान प्रार्थिया के पति श्री बाबूलाल द्वारा बिना किसी आपत्ति के प्राप्त कर लिया गया है। चूंकि उक्त अवाप्तशुदा भूखण्ड संरचना का मुआवजा प्रार्थिया के पति श्री बाबूलाल द्वारा प्राप्त कर लेने से प्रार्थिया को उक्त संरचना का मुआवजा नहीं दिया गया है। मूल्यांकन प्रतिवेदन अधिकारी द्वारा अपनी वेल्युवेशन रिपोर्ट विधिक आधार पर ही तैयार की गई है, जिस पर किसी भी प्रकार की कोई संदिग्धता नहीं की जा सकती है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अभिलेखों की रोशनी में स्वीकार योग्य नहीं पाए जाने से निरस्त किया जाता है। मुआवजा राशि में किसी भी प्रकार की कोई वृद्धि किए जाने का आधार नहीं होने से ... क्लेम निरस्त किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2024.01.06 15:05:38 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर,(आरबीट्रेटर)
सिरोही (राज०)

Scanned with CamScanner